न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 37/16

तारीख रजू :–29.07.2016

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

गंगासहाय पुत्र श्रीचन्द जाति मीना निवासी गढखेडा तहसील नादौती जिला करौली।

..... सायल

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र अमरया
2. हवल्या पुत्र श्रीचन्द
3. हरसहाय पुत्र श्रीचन्द
4. गीली पत्नि हवल्या
5. केशन्ति पत्नि हरसहाय

जाति मीना निवासी गढखेडा तहसील नादौती जिला करौली।

6. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदारजी नादौती।

..... गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 12.06.2018

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि भूमि साविक ख0नं0 146 रकवा 15 विस्वा, ख0नं0 244 रकवा 12 विस्वा, ख0नं0 296 रकवा 12 विस्वा, ख0नं0 407 रकवा 12 बीघा 4 विस्वा वाकेतन ग्राम गढखेडा तहत तहसील नादौती

जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में गैरसायल सं0 1 श्रीचन्द पुत्र अमरया मीणा निवासी गढ़खेड़ा के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है जो पूर्व में गैरसायल सं0 1 के पिता व गैरसायल सं0 2 व 3 व सायल के पिता मह अमरया के नाम खातेदारी की भूमि रही है। अमरया के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत में गैरसायल सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुयी है। पैतृक भूमि होने के कारण उक्त आराजीयात में सायल गैरसायल सं0 1 ता 3 का बराबर बराबर का हिस्सा है। अर्थात प्रत्येक का हिस्सा 1/4 है। जिसका सायल व गैरसायलान सं0 1 ता 3 संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है।

तहसील नादौती के ग्रामों में भू प्रबन्ध का कार्य हुआ है जिसमें प्रार्थना पत्र के चरण सं0 2 में वर्णित खसरा नम्बरान के नये ख0नं0 278 रकवा 0.21 हैक्टर, 490 रकवा 0.16 हैक्टर, 605 रकवा 0.10 हैक्टर, 606 रकवा 0.10 हैक्टर, 834 रकवा 1. 25 हैक्टर, 835 रकवा 1.37 हैक्टर, 833 रकवा 0.20 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकवा 3.39 हैक्टर बनाये गये है जो कि दिनांक 02.09.2011 तक गैरसायल सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज रही है व हाल राजस्व रिकार्ड में गैरसायल सं0 4 व 5 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें सायल एवं गैरसायलान सं0 1 ता 3 का बराबर का हिस्सा है। व हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। जिसका सायल व गैरसायल सं0 1 ता 3 के मध्य अभी तक भौतिक रूप से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कोई विभाजन नहीं हुआ है। गैरसायल सं0 1 गैरसायल सं0 2 व 3 के प्रभाव में है प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में दर्ज भूमि में से सायल के हिस्सा 1/4 भूमि से सायल को महरूम करने की नियत से गैरसायल सं0 1 के द्वारा गैरसायल सं0 4 व 5 से बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किये

प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में वर्णित समस्त आराजीयात को गैरसायल सं0 4 व 5 श्रीमति गीली पत्नि हवल्या व केशन्ती पत्नि हरसहाय जो कि गैरसायल सं0 2 व 3 की पत्नि है के हक में दिनांक 02.09.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया। सायल दिनांक 27.06.2016 को प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से अपने हिस्सा 1/4 भूमि पर काश्त करने हेतु खरार करने गया तो गैरसायल सं0 2 ता 5 मौके पर खेत पर आ गये और सायल को खेतों में खरार करने से मना कर दिया व कहा कि चुपचाप खेतों से बाहर चले जाओ, आयन्दा खेतो पर मत आना। सायल द्वारा यह कहने पर कि पैतृक भूमि है तुम काश्त करने से मुझे कैसे रोक रहे हो। इस पर गैरसायल सं0 2 ता 5 कहने लगे कि प्रा0पत्र के चरण सं0 3 में वर्णित समस्त आराजीयात का गैरसायल सं0 4 व 5 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है सायल ने दिनांक 27.06.2016 को पटवारी हल्का से रिकार्ड की स्थिति का मालूम किया तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि अब श्रीचन्द पुत्र अमरया मीना के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं है। और प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में दर्ज भूमि केशन्ती पत्नि हरसहाय व गीली पत्नि हवल्या मीना के नाम खातेदारी में दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर का पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख0नं0 278 रकवा 0.21 हैक्टर, 490 रकवा 0.18 हैक्टर, 605 रकवा 0.10 हैक्टर, 606 रकवा 0.10 हैक्टर, 834 रकवा 1.25 हैक्टर, 835 रकवा 1.37 हैक्टर, 833 रकवा 0.20 हैक्टर वाके तन ग्राम गढखेडा सायल के हिस्सा 1/4 के कब्जेकाश्त उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं

करे और ना ही किसी अन्य से करावें। साथा भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय नहीं करें। किसी प्रकार का रहन बय का दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करने के लिये तहसीलदार जी सामोती को पाबन्द किया जावे कि वह किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीकृत नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जबाव नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील शामिल मिसल किये गये।

जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व काउन्टर टी.आई. गैरसायलान सं0 1 ता 5 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें अवगत कराया कि सायल व गैरसायल सं0 1 के पिता व 2 व 3 के दादा के नाम की खातेदारी होना स्वीकार है. परन्तु उक्त मद में जो सायल द्वारा तहरीर किया है, उसमें सभी तथ्य छिपाकर झूंठा व बेईमानीपूर्वक दावा पेश किया है जो गलत है, जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि सायल व गैरसायलान सं0 1 ता 3 का सजरा खानदान इस प्रकार है।

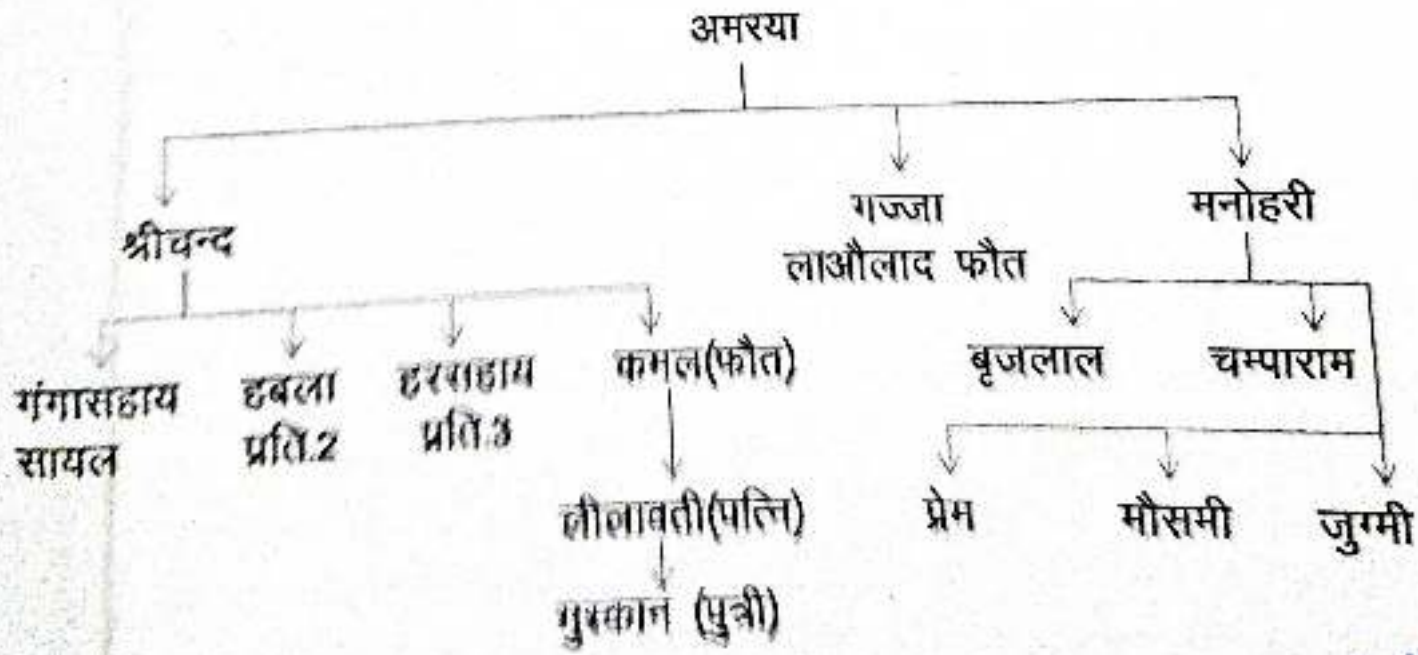

इस प्रकार अमरया की कुल भूमि सविक खसरा नम्बर 146, 244, 296, 407 कुल किता 4 कुल रकवा 14 बीघा 11 विस्वा श्रीचन्द के नाम दर्ज एवं सविक खसरा नम्बर 143, 305, 353, 406 कुल किता 4 कुल रकवा 14 बीघा 17 विस्वा गज्जर के नाम तथा सविक खसरा नम्बर 142, 308, 448, 471 कुल किता 4 कुल रकवा 14 बीघा 2 विस्वा मनोहरी के नाम खातेदारी संवत् 2020 में दर्ज है। इस प्रकार अमरया के खाते में कुल भूमि 43 बीघा भूमि थी, जो संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी में 44 बीघा 11 विस्वा भूमि दर्ज है। जिसके खसरा नम्बर 330,333,342,347,352,354,357,450,471,571,573,574,629,690,716,718,858,910,922, 1056,1057,1191,1192,1194,1195,1196,1219,1220,1221,3388,1501,1525,1526,1527 ,1528,1529,1530,1531,1532,1191/1122,687/1578,856/1685 कुल किता 38 कुल रकवा 44 बीघा 11 विस्वा अमरया की खातेदारी में संवत् 2016 से 2019 में दर्ज खातेदारी भूमि है, जो सायल व गैरसायल सं0 1 ता 3 की पैत्रिक भूमि है।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि ही पैत्रिक भूमि नहीं है। बल्कि सायल व गैरसायल सं0 1 के चौथे पुत्र कमल जो फौत हो गया, उसकी पत्नि व पुत्री मनोहरी के पुत्र बृजलाल व चम्पाराम के नाम दर्ज भूमि भी पैत्रिक भूमि है, जिसके हाल खसरा नम्बर 278/2 रकवा 0.10 हैक्टर, 490/2 रकवा 0.08 हैक्टर, 606 रकवा 0.10 हैक्टर, 833/1 रकवा 0.10 हैक्टर, 834/1 रकवा 0.62 हैक्टर, 835/1 रकवा 0.69 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 1.69 हैक्टर जिसकी वर्तमान में खातेदार केशन्ती देवी गैरसायल संख्या पांच दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 278/1 रकवा 0.11 हैक्टर, 490/1 रकवा 0.08 हैक्टर, 605 रकवा 0.10 हैक्टर, 833/2 रकवा 0.10 हैक्टर, 834/2 रकवा 0.63 हैक्टर, 835/2 रकवा 0.68 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 1.70 हैक्टर वर्तमान में खातेदार गैरसायल संख्या 4 गीली देवी है तथा हाल खसरा नम्बर 280 रकवा 0.09 हैक्टर, 283 रकवा 0.19 हैक्टर, 456 रकवा 0.25 हैक्टर, 536 रकवा 0.70 हैक्टर, 830 रकवा 1.72 हैक्टर, 832 रकवा 0.92 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकवा 3.87 हैक्टर के वर्तमान में खातेदार सायल व श्रीचन्द के चौथे पुत्र कमल जो फोत हो गया, उसकी पत्नि लीलावती दर्ज खातेदार है तथा हाल खसरा नम्बर 274 रकवा 0.04 हैक्टर, 275 रकवा 0.22 हैक्टर, 450

रकवा 0.31 हैक्टर, 880 रकवा 2.14 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकवा 2.71 हैक्टर के वर्तमान में खातेदार मनोहरी के पुत्र बृजलाल व चम्पाराम व दो पुत्रिया है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बरों में सायल भी पैत्रिक भूमि अमरया की खातेदारी में 3.87 हैक्टर हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है। व 1/2 भूमि कमल की पत्नि लीलावती के नाम दर्ज रिकार्ड है। अमरया के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि का यदि पैत्रिक आधार का वारिसानों के नाम दर्ज रिकार्ड हिस्सा अनुसार जमाबंदी में अमल किये जाने के आदेश सायल के मुताविक पैत्रिक भूमि का बंटवारा किया जाता है तो सायल के नाम दर्ज खातेदारी भूमि कुल रकवा 3.87 हैक्टर हिस्सा 1/2 खाता सं0 6 जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 में से 0.63 हैक्टर भूमि जो अधिक दर्ज है, हजफ की जाकर श्रीचन्द व मनोहरी के खाते में दर्ज फरमायी जावे। लीलावती के खाते से अधिक दर्ज है, उसमें से भी 0.63 हैक्टर श्रीचन्द व मनोहरी के खाते में दर्ज फरमायी जावें। रेवेन्यू कोर्ट को विक्रय पत्र को खारिज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र को खारिज करने का कानूनी अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। इस प्रकार दावा सायल मियाद बाहर कानून के विरूद्ध पेश करने से विद कोस्ट खारिज फरमाया जावें। क्योंकि खरीदशुदा भूमि में से सायल बंटवारा कराने का गैरसायल सं0 4 व 5 की भूमि में से कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2011 गैरसायल सं0 4 व 5 के हक में तस्दीक हुआ, उसे सिविल न्यायालय से खारिज कराने के बाद ही सायल पैत्रिक भूमि का बंटवारा श्रीचन्द के फौत होने के बाद श्रीचन्द के नाम दर्ज खातेदारी भूमि से ही कराने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए दावा हाजा वादीगण गलत पेश करने से खारिज फरमाया जावें। अमरया के तीन पुत्र थें, श्रीचन्द के चार पुत्र थें कमल फौत हो चुका था, जिसकी पत्नि लीलावती मौजूद है तथा दूसरा पुत्र गज्जा नाऔलाद फौत हुआ व तीसरा पुत्र मनोहरी जिसके दो पुत्र व तीन पुत्रिया थी। इस प्रकार अमरया के वारिसान हुए जिनमें गज्जा लाऔलाद फौत हुए, पारिवारिक समझौता व भाईयों के सेटलमेन्ट के मुताविक तीन भाईयों के बीच में चार श्रीचन्द के व दो मनोहरी के बेटे थे, इस प्रकार तीन भाईयों के बीच 6 बेटे हुए, तीनों भाईयों द्वारा अपने बेटों का बंटवारा भूमि का पारिवारिक सेटलमेन्ट करते हुए गज्जा ककी भूमि की वसीयत दिनांक 20.07.1990 को श्रीचन्द के दो बडे बेटे गंगासहाय सायल व

कमल के नाम करा दी जो गज्जा के हिस्से पर कायम हो गये, जबकि पैत्रिक भूमि अमरया के नाम खातेदारी की वसीयत कानूनन वही करा सकते। अमरया के नाम दर्ज खातेदारी भूमि मे सायल का पैत्रिक भूमि के मुताबिक हिस्सा 2/15 बनता है, जिसके मुताबिक सायल की खातेदारी में मात्र 1.30 हैक्टर आता है, जो 0.63 हैक्टर अधिक दर्ज है जो गंगासहाय सायल के नाम से हजफ फरमायी जाकर खाता संख्या हाल 6 गढखेडा संवत् 2070 से 73 में गैरसायल रा0 1 श्रीचन्द को खातेदार घोषित फरमाया जावे व लीलावती का हिस्सा 2/15 आता है, उसमें 0.63 हैक्टर अधिक दर्ज होने से 0.63 हैक्टर भूमि हजफ की जाकर मनोहरी के दरिमान बृजलाल व चम्पाराम के नाम खातेदारी घोषित फरमायी जावें। खाता संख्या 21 व 37 ग्राम गढखेडा गैरसायल संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में सायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायल संख्या 4 व 5 के कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, कब्जा काश्त उपयोग-उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य करे जिससे गैरसायल संख्या 4 व 5 के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडें। इस कदर सायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। काउन्टर टी.आई. गैरसायलान स्वीकार फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में निम्नलिखित दस्तावेजी सबूत पेश किये। जिनका अवलोकन किया गया।

1. नकल रजिस्ट्री की छांयाप्रति।

2. नकल मिलान क्षेत्रफल की छायाप्रति।

3. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 तक की छायाप्रति।

4. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक की छायाप्रति।

वकील गैरसायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में निम्नलिखित दस्तावेजी सबूत पेश किये। जिनका अवलोकन किया गया।

1. जमाबन्दी हाल ख0नं0 6, 21, 37, 122 ग्राम गढखेडा की छायाप्रति।
2. जमाबन्दी सम्वत् 2038 खाता नं0 22, 162, 104 गढखेडा की छायाप्रति।
3. मिलान क्षेत्रफल दिनांक 19.08.2016
4. मिलान क्षेत्रफल दिनांक 19.08.2016
5. जमाबन्दी साविक संवत 2024 से 2027 खाता नं0 124, 23, 83 ग्राम गढखेडा।
6. जमाबन्दी साविक एकीकरण 2020 खाता नं0 124, 22, 83 ग्राम गढखेडा।
7. वसीयत दिनांक 20.07.90 की छायाप्रति।
8. विक्रय पत्र की छायाप्रति।
9. मिलान क्षेत्रफल एकीकरण 2020 दिनांक 9.09.16
10. जमाबन्दी साविक सं0 2016 से 2019 दिनांक 09.09.16

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निम्न तीन बिन्दूओं पर किया जाना है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– भूमि साविक ख0नं0 146 रकवा 15 विस्वा, ख0नं0 244 रकवा 12 विस्वा, ख0नं0 296 रकवा 12 विस्वा, ख0नं0 407 रकवा 12 बीघा 4 विस्वा वाकेतन ग्राम गढखेडा तहत तहसील नादौती जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में गैरसायल सं0 1 श्रीचन्द पुत्र अमरया मीना निवासी गढखेडा के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है जो पूर्व में गैरसायल सं0 1 के पिता व गैरसायल सं0 2 व 3 व सायल के पिता मह अमरया के नाम खातेदारी की भूमि रही है। अमरया के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत में गैरसायल सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुयी है। पैतृक भूमि होने के कारण उक्त आराजीयात में सायल

गैरसायल सं0 1 ता 3 का बराबर बराबर का हिस्सा है। अर्थात प्रत्येक का हिस्सा 1/4 है। जिसका सायल व गैरसायलान सं0 1 ता 3 संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है। तहसील नादौती के ग्रामों में भू प्रबन्ध का कार्य हुआ है जिसमें प्रार्थना पत्र के चरण सं0 2 में वर्णित खसरा नम्बरान के नये ख0नं0 278 रकवा 0.21 हैक्टर, 490 रकवा 0.16 हैक्टर, 605 रकवा 0.10 हैक्टर, 606 रकवा 0.10 हैक्टर, 834 रकवा 1.25 हैक्टर, 835 रकवा 1.37 हैक्टर, 833 रकवा 0.20 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकवा 3.39 हैक्टर बनाये गये है जो कि दिनांक 02.09.2011 तक गैरसायल सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज रही है व हाल राजस्व रिकार्ड में गैरसायल सं0 4 व 5 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें सायल एवं गैरसायलान सं0 1 ता 3 का बराबर का हिस्सा है। व हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। जिसका सायल व गैरसायल सं0 1 ता 3 के मध्य अभी तक भौतिक रूप से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कोई विभाजन नहीं हुआ है। गैरसायल सं0 1 गैरसायल सं0 2 व 3 के प्रभाव में है प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में दर्ज भूमि में से सायल के हिस्सा 1/4 भूमि से सायल को महरूम करने की नियत से गैरसायल सं0 1 के द्वारा गैरसायल सं0 4 व 5 से बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किये । प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में वर्णित समस्त आराजीयात को गैरसायल सं0 4 व 5 श्रीमति गीली पत्नि हवल्या व केशन्ती पत्नि हरसहाय जो कि गैरसायल सं0 2 व 3 की पत्नि है के हक में दिनांक 02.09.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया। सायल दिनांक 27.06.2016 को प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में वर्णित आराजीयात में से अपने हिस्सा 1/4 भूमि पर काश्त करने हेतु खरार करने गया तो गैरसायल सं0 2 ता 5 मौके पर खेत पर आ गये

और सायल को खेतो में खरार करने से मना कर दिया व कहा कि चुपचाप खेतों से बाहर चले जाओ, आयन्दा खेतो पर मत आना। सायल द्वारा यह कहने पर कि पैतृक भूमि है तुम काश्त करने से मुझे कैसे रोक रहे हो। इस पर गैरसायल सं0 2 ता 5 कहने लगे कि प्रा0पत्र के चरण सं0 3 में वर्णित समस्त आराजीयात का गैरसायल सं0 4 व 5 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है सायल ने दिनांक 27.06.2016 को पटवारी हल्का से रिकार्ड की स्थिति का मालूम किया तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि अब श्रीचन्द पुत्र अमरया मीना के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं है। और प्रार्थना पत्र के चरण सं0 3 में दर्ज भूमि केशन्ती पत्नि हरसहाय व गीली पत्नि हवल्या मीना के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के अंत में वकील सायल ने निवेदन किया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर का पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख0नं0 278 रकवा 0.21 हैक्टर, 490 रकवा 0.16 हैक्टर, 605 रकवा 0.10 हैक्टर, 606 रकवा 0.10 हैक्टर, 834 रकवा 1.25 हैक्टर, 835 रकवा 1.37 हैक्टर, 833 रकवा 0.20 हैक्टर वाके तन ग्राम गढखेडा सायल के हिस्सा 1/4 के कब्जेकाश्त उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। तथा भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करें। किसी प्रकार का रहन वय का दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करने के लिये तहसीलदार जी नादौती को पाबन्द किया जावे कि वह किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीकृत नहीं करें। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो यथा जमावंदी, विकयपत्र व सायल के इकबालियॉ प्रार्थना पत्र यह सावित होता है कि विवादित आराजी सायल व गेरसायलान की पेतृक भूमि है, जिसको गैरसायल ने

अपने हिस्से की जमीन का बेचान किया है। इसके गैरसायलान जायज हकदार है। जहाँ तक वाई मीटस एंड वाउन्डस बटवॉरे का प्रश्न है तो इसके लिये अलग से दावा विचाराधीन है, जिसका नियमानुसार वाई मीटस एंड वाउन्डस बटवॉरा कर दिया जावेगा । यदि गैरसायलान को अपने खाते की भूमि का बेचान करने से रोका गया तो यह उसके हको पर कुठाराघात होगा। इससे प्रथम द्रष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः काउन्टर टीआई स्वीकार की जाती है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> :- चूकि प्रथम द्रष्टया प्रकरण में मामला गैरसायलान के पक्ष में सावित हुआ है और सायल का यह भी कथन है कि विवादित भूमि सायलान व गैरसायलन की पुश्तैनी भूमि है। अतः सुविधा का संतुलन भी गैरसायलान के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

<u>अपूर्णीय क्षति का बिन्दु</u> :- गैरसायलान ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है , जिसका वह कानूनन हकदार है। प्रकरण में घोषणा खातेदारी व वाई मीटस एंड वाउन्डस बटवॉरा नियमानुसार दावे में कर दिया जावेगा। यदि गैरसायलान को अपने हिस्से की भूमि के बेचान से रोका गया तो यह उसके लिये अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में है।

अतः सायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वह गैरसायल सं0 4 व 5 जो खाता सं0 21 व 37 ग्राम गढखेडा में है, के कब्जेकाश्त, खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, कब्जाकाश्त उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे

गैरसायल सं0 4 व 5 के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडें। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा फैसल शुमार होकर हमकिता दावा रहें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली